मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

तृतीय तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र.1706 / वि–12 / प्रशा. / विज्ञापन 01–2025 / 2025 भोपाल दिनांक 04/02/2025

विज्ञप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों / परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में सहायक प्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर करने हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैः–

क्र	पदनाम	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयुसीमा	न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक प्रबंधक (सिविल)	प्रतिनियुक्ति	58 वर्ष	राज्य/केन्द्र शासन के विभागों/कार्य विभाग, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं केन्द्र/राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम में कार्यरत सहायक यंत्री (सिविल) जिन्हें 3 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो अथवा 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी उपयंत्री जिन्हें 3 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो अथवा डिप्लोमाधारी उपयंत्री (सिविल) जिन्हें 8 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो।	45	प्राधिकरण मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय / इकाई

चयन की शर्ते :–

1. सहायक प्रबंधकों के पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में से योग्य / न्यूनतम योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत साक्षात्कार इस हेतु गठित साक्षात्कार / चयन समिति द्वारा लिया जावेगा एवं साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से विगत पांच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग कम से कम तीन वर्षो में **'क'** एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में **'घ'** न हो, के अनुरूप होना चाहिये।
2. अभ्यर्थियों के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित न हो, लोकायुक्त / आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध न हो। विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित तथा / अथवा लोकायुक्त / आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा / अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात केन्द्र शासन / राज्य शासन के विभागों, कार्य विभागों / निगमों / मंडलों में कार्यरत अभियंताओं की सेवाएं म.प्र. राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होने पर उन्हें पूर्ववत् केन्द्र शासन / राज्य शासन के विभागों / कार्य विभाग / निगम / मंडल में प्राप्त हो रहा वेतन / गृह भाड़ा भत्ता / अन्य भत्तों के अनुरूप ही देय होगा।
4. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन, के प्रचलित नियम / निर्देश लागू होगें।
5. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जावे।
6. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षो की गणना विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक में की जावेगी।

7. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, विकास भवन, भोपाल, म.प्र.** के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि **25/02/2025 सायं 5:30** बजे तक है। साक्षात्कार में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय बेवसाईट mprrda.org/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755–4002632 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी। ई–मेल के माध्यम से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं किए जावेगें।
8. चयन सूची की वैद्यता एक वर्ष रहेगी। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा। चयन उपरांत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना आवश्यकतानुसार की जावेगी।
9. उक्त विज्ञप्ति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयनित अभियंताओं की पदस्थापना होने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभियंता अगले दो वर्ष प्राधिकरण में चयन हेतु अपात्र होंगे।

5/2/2025

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल